

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक _____ पटना, दिनांक _____

सं0सं0-या0वि-7-(SGSY)- 02/08 खंड- 1

प्रेषक,

कनक बाला,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,

(सारण, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, अररिया, लखीसराय, बक्सर, अरवल, बेगूसराय, सूपौल एवं शिवहर जिले को छोड़कर) ।

विषय :- स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) के अंतर्गत दिनांक-31.03.2013 के बाद अव्यवहृत अवशेष राशि को SRLM खाते में हस्तांतरण के संबंध में ।

प्रसंग :- BRLPS/Proj/490/13/5786 दिनांक- 06.03.2014 एवं विभागीय पत्रांक- 182310 दिनांक- 02.04.2014

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि उक्त पत्र के द्वारा आपके आपके SGSY योजना के अंतर्गत दिनांक-31.03.2013 के बाद अव्यवहृत अवशेष राशि को SRLM खाते में हस्तांतरण करने का अनुरोध किया गया था, परन्तु वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयांकित मामले से संबंधित प्रतिवेदन अविलंब इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय । प्रतिवेदन विभाग को अनिवार्य रूप से ई-मेल किया जाय ।

विश्वासभाजन


ह0/-

(कनक बाला)

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

जापोक 186925 पटना, दिनांक 2/6/2014

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री जी के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / आयुक्त, स्वरोजगार, विद्युत भवन, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी ।